न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 49/2018 अपील

श्री शिवराज बैरवा पुत्र चन्द्रा बैरवा निवासी अमरपुरा, मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये हल्का पटवारी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार ढिकोला प्रकरण सं. 307/2018 निर्णय दिनांक 07.03.2018 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.05.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार ढीकोला प्रकरण सं0 307/2018 निर्णय दिनांक 07.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अमरपुरा मदनपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 1914/426 किस्म बंजड़ भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का मिण्डोलिया द्वारा पेश करने के आधार पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया। उक्त नोटिस में वर्णित अनुसार अपीलाण्ट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण का तथ्य साबित नही होते हुए भी अपीलाण्ट को दोषी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व फसल जप्त सरकार कर निलाम किये जाने व शास्ति लगान का 50 गुणा आरोपित करने का आदेश दिनांक 07.03.2018 को पारित किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व जारी नोटिस में वर्णित अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण का तथ्य साबित नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है जो विधिक त्रुटि एवं तथ्यात्मक त्रुटि है। अपीलाण्ट को जिरह एवं सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2018 को अपास्त कराया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.03.2018 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम अमरपुरा मदनपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 1914/426 किस्म बंजड़ भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का मिण्डोलिया द्वारा पेश करने के आधार पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त नोटिस में वर्णित अनुसार अपीलाण्ट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण का तथ्य साबित नही होते हुए भी अपीलाण्ट को दोषी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व फसल जप्त सरकार कर निलाम किये जाने व शास्ति लगान का 50 गुणा आरोपित करने का आदेश दिनांक 07.03.2018 को पारित किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व जारी नोटिस में वर्णित अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण का तथ्य साबित नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है जो विधिक त्रुटि एवं तथ्यात्मक त्रुटि है। अपीलाण्ट को जिरह एवं सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2018 को अपास्त कराया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि शिवराज पिता चन्द्रा बैरवा निवासी अमरपुरा मदनपुरा के द्वारा ग्राम अमरपुरा मदनपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 1914/426 किस्म बंजड़ भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार ढीकोला द्वारा प्रकरण सं. 307/2018 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर शिवराज पिता चन्द्रा बैरवा द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 50/–रू. से दिनांक 07.03.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर नायब तहसीलदार ढीकोला का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम अमरपुरा मदनपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 1914/426 किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड है। नायब तहसीलदार ढीकोला के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 1914/426 रकबा 0.75 हैक्ट. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 50/– शास्ति आरोपित की गयी। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1914/426 रकबा 0.75 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। जिसने नाजायज कब्जा स्वीकार किया। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है। अपीलार्थी ने भूमिहीन होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। ग्राम अमरपुरा मदनपुरा के आराजी नं. 1914/426 बिलानाम होकर नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार ढीकोला प्रकरण सं0 307/2018 निर्णय दिनांक 07.03.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला का निर्णय दिनांक 07.03.2018 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)